

डीजे बजाने के विवाद को लेकर हुए आगजनी व मारपीट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(g) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को ग्राम भगता गेट के पास से आज दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जाएगा।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 14.03.2025 को उक्त अभियुक्त द्वारा डीजे बजाने की बात को लेकर आगजनी व मारपीट की घटना कारित की गयी थी। जिसके उपरान्त थाना महुली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए धारा 131,191(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी, थाना महुली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रताप यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 16 वाहनों से 16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 16 वाहनों से 16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 827 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द निवासी ठठरहिया मोहल्ला कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बहद ग्राम छपिया अव्वल बागीचे के पास 827 ग्राम अवैध गांजा के साथ नियमानुसार दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द निवासी ठठरहिया मोहल्ला कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 827 ग्राम अवैध गांजा।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 82/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार सिंह , हे0का0 आदित्य यादव , का0 सूरज रावत।